जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 24.02.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 102 वाहनों से 1,14,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 24.02.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 102 वाहनों से 1,14,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 20,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24.02.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 210/ 2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सतीश उर्फ घनश्याम पुत्र अनिल कुमार निवासी नोनहर थाना सूर्यपुरा बाजार जनपद रोहतास राज्य बिहार को मेंहदावल बाइपास से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

सतीश उर्फ घनश्याम पुत्र अनिल कुमार निवासी नोनहर थाना सूर्यपुरा बाजार जनपद रोहतास राज्य बिहार।

आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0स0 125/2024 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि व 10/6 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-** प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, हे0का0 पप्पू सिंह, हे0का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 मनीष प्रभात, का0 रंजन राजभर, म0आ0 मीनू राजभर।

***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0 163/2025 धारा 69,352,351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में नाम पता अभियुक्त फैयाज अहमद पुत्र अब्बास निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद को रेलवे मालगोदाम के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 23.02.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 24.02.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, हे0का0 प्रदीप सिंह, का0 आरमान खान ।